BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA NO 102/2023

In the Matter of:

NEERAJ CHACHHAR & Anr. ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS ..RESPONDENTS

INDEX

S.No	Particulars	Page no
1.	Report on Behalf of Irrigation department in compliance of the order dated 16.04.2025	1-6

Dated: 14.08.2025

Adv Anjali Rajput
Counsel for State of Uttarakhand
Chamber no 136, M.C. Setalvad Block, Supreme Court of India,
New Delhi-110001

स्पीड पोस्ट

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड मायापुर, हरिद्वार–249401
(ई–मेल–idharidwar@gmail.com)

पत्रांक –2558 / सिं0ख0ह0/ दिनांक–12/8/25

सेवा में,

रजिस्टार जनरल
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
नई दिल्ली।

विषय – माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0–102/2023 नीरज छछर बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचनीय है कि शासन की ई–पत्रावली सं0–72509 सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण अनुभाग–02, देहरादून दिनांक 03.06.2025 के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0–102/2023 नीरज छछर बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 16.04.2025 के पैरा–06 व 07 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्न कमेटी गठित की गयी है।

1. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरिद्वार।
2. श्री ए0के0 लोहानी, वैज्ञानिक जी0एन0आई0एच0, रूड़की।
3. मुख्य अभियन्ता (परिकल्प) एवं निदेशक सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की।

उक्त कमेटी चण्डीपुल से उत्तर प्रदेश की सीमा तक किये गये बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के कार्यों में 10 मीटर कंटूर अन्तराल के स्थान पर 01 मीटर कंटूर अन्तराल को सर्वेक्षण किये जाने हेतु 10 दिवस में आख्या प्रस्तुत करेगी (छाया प्रति संलग्न)। कमेटी द्वारा जो आख्या प्रेषित की गयी है, उसमें अवगत कराया गया है कि

1. 10 मीटर कन्टूर इण्टरवल अर्थात् 10 मी0 स्पेशल रेजोल्यूशन का DEM (Degital Elevation Model) 10×10 मी0 के वर्गाकार क्षेत्र में एलिवेशन (Level) की केवल एक वेल्यू देता है तथा 1.00 मी0 का DEM 1.00 मी0 के वर्गाकार क्षेत्र एलिवेशन की एक वेल्यू देता है। अतः इस प्रकार 1.00 मी0 का DEM 10.00 मी0 के DEM के मुकाबले ज्यादा सटीक है।
2. इस क्षेत्र का बाढ़ मैदान पर चित्रण का कार्य 2016 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया गया था, जिसने उसे समय उपलब्ध नवीनतम DEM जो कि 10 मी0 का था, का प्रयोग किया गया था। इस फिजिकल सर्वे में रिवर क्रास सेक्शन 5 कि0मी0 के अन्तराल पर लिये गये थे।

इस प्रकार उक्त क्षेत्र का 1 मी0 के DEM पर बाढ़ मैदान का अध्ययन किया जाना उचित होगा (कमेटी द्वारा प्रेषित आख्या की छाया प्रति संलग्न है)। चण्डीपुल से उत्तर प्रदेश की सीमा तक किये गये बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के कार्यों में 10 मीटर कंटूर अन्तराल के स्थान पर 01 मीटर कंटूर अन्तराल का सर्वेक्षण किया जाना है। सर्वेक्षण कार्य हेतु प्राक्कलन गठित किया जा रहा है। प्राक्कलन गठित होने के उपरान्त सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ, नई दिल्ली से 06 माह का अतिरिक्त समय प्रदान कराने की कृपा करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

पत्रांक – /सिं0ख0ह0/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. प्रमुख अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) सिंचाई विभाग उत्तराखंड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर–2, सिंचाई विभाग हरिद्वार।
3. जिलाधिकारी हरिद्वार।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल हरिद्वार।
5. सुश्री अंजली राजपूत अधिवक्ता ई–41 बेसमेन्ट लाजपतनगर–III नई दिल्ली–110024

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02
ई0पत्रावली संख्या: 72509
देहरादून, दिनांक: 03 मई, 2025

कार्यालय ज्ञाप

मा0 हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक: 18.04.2025 के पैरा 06 व 07 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्नवत् कमेटी गठित की जाती है:–

(i) मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग हरिद्वार –अध्यक्ष
(ii) श्री ए0के0 लोहानी, वैज्ञानिक जी, एनआईएच, रूड़की –सदस्य
(iii) मुख्य अभियन्ता, (परिकल्प) एवं निदेशक सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की –सदस्य

उक्त कमेटी चण्डीपुल से उत्तर प्रदेश सीमा तक किये गये बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के कार्यो में 10 मीटर कंटूर अन्तराल के स्थान पर 1.0 मीटर कंटूर अन्तराल का संकलन किये जाने हेतु 10 दिवस में आख्या प्रस्तुत करेगी।

Digitally signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 31-05-2025
15:16:43

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

ई0पत्रावली संख्या: 72509 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या: 2969/प्र0अ0/सि0वि0/नि0अनु0/NGT/102/2023, दिनांक: 20.05.2025 के क्रम में।
2. श्री ए0के0 लोहानी, वैज्ञानिक जी, एनआईएच, रूड़की द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, (परिकल्प) एवं निदेशक सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Jai Lal Sharma
Date: 03-06-2025
11:38:43

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव

NGT Cell
CE, ID, Hw & others

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

3445
पत्रांकः 3447 / प्र0अ0 / सि0वि0 / नि0अनु0 / NGT / 102 / 2023 दिनांकः 05 जून, 2025

विषयः- मा0 हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में।

1. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग हरिद्वार।
2. श्री ए.के. लोहानी, वैज्ञानिक जी, एनआईएच, रुड़की।
3. मुख्य अभियन्ता, (परिकल्प) एवं निदेशक सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की।

उपरोक्त विषयक शासन की ई0-पत्रावली संख्या-72509 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-02 देहरादून, दिनांक 03 जून 2025 के द्वारा मा0 हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवदेन संख्या-102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 16.04.2025 के पैरा 06 व 07 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्नवत् कमेटी गठित करते हुए आख्या 10 दिवस में प्रस्तुत किये जाने की वांछना की गयी है।

1. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग हरिद्वार।
2. श्री ए.के. लोहानी, वैज्ञानिक जी, एनआईएच, रूड़की।
3. मुख्य अभियन्ता, (परिकल्प) एवं निदेशक सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की।

अतः उक्त विषयक पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित करने के निदेश हुए हैं कि कृपया उपरोक्त विषयक प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

05/6/25

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner

संख्या OA No. 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में मा० एनजीटी द्वारा दिनांक 16.04.2025 को दिए गए निर्देशों के क्रम मे गंगा नदी का हरिद्वार से लक्सर क्षेत्र में पुनः बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण कराने के सम्बन्ध में

आख्या

उक्त वाद में मा० NGT द्वारा निम्न आदेश पारित किये गए है -

1. In this original application Tribunal is considering the issue of pollution of river Ganga due to construction of residential apartments at Bellram Ashram, Kankhal, Haridwar, hence and issue of demarcation of flood plain zone of river Ganga comes up to ascertain if construction in question is in the flood plain.
2. Reply dated 15.04.2025 has been filed by District Magistrate Haridwar stating that NIH study was conducted in the year 2016 and at that time only defined criterion for the project was the 100 years floodplain marking zone and accordingly study was conducted and demarcation and identification of zone was completed in 2016.
3. River Ganga (rejuvenation, protection and management) authorities order 2016 was notified on 07.10.2016.
4. In terms of directions of the Tribunal all other states from where river Ganga or its tributaries are flowing are taking a step to Demarcate the flood plain zone of river Ganga in terms of the 2016 notification with highest level of 1:100 years.
5. The other states are uniformly demarcating it with 1 meter contour but in the case of state of Uttarakhand, Counsel for State has pointed out that demarcation of the flood plain zone is done taking into account with 10 meter contour.
6. Sh. Mr. A. K. Lohani (Through VC) Scientist G, NIH, Roorkee appearing virtually has informed that when demarcation was done in 2016, 10 meter contour was available but now 01 meter contour interval is available which is more accurate. He has submitted that in view of the fact that all other relevant data is available, the exercise of completing the demarcation with 1 meter contour taking into account 1:100 years highest flood level can be completed within one or two months.
7. Learned counsel for the State seeks four weeks' time to obtain instructions in this regard, meanwhile authorities are directed to consider the above submission and take appropriate steps.

इस संबंध में अवगत कराना है कि बिंदुवार उत्तर संख्या 6 एवं 7 में एनजीटी द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि हरिद्वार से लक्सर तक गंगा नदी के क्षेत्र को 1 मी कंटूर अर्थात एक मीटर Special रेजोल्यूशन के डिजिटल एलिवेशन मॉडल का प्रयोग करते हुए उक्त रीच का बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण कराया जाये | इस सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार से है -

1. अवगत कराना है कि 10 मी कंटूर इंटरवल अर्थात 10 मी स्पेशल रेजोल्यूशन का DEM (Digital Elevation Model) 10x10 मीटर के वर्गाकार क्षेत्र में एलिवेशन (Level) की केवल एक वैल्यू देता है तथा एक मीटर का DEM एक मीटर के वर्गाकार क्षेत्र एलिवेशन की एक वैल्यू देता है अतः इस प्रकार एक मीटर का DEM 10 मीटर के DEM के मुकाबले ज्यादा सटीक है|
2. इस क्षेत्र का बाढ़ मैदान पर चित्रण का कार्य 2016 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया था जिसने उसे समय उपलब्ध नवीनतम DEM जो की 10 मीटर का था, का प्रयोग किया गया था | इस फिजिकल सर्वे में रिवर क्रॉस सेक्शन 5 किलोमीटर के अंतराल पर लिए गए थे |

अतः इस प्रकार उक्त क्षेत्र का 1 मीटर के DEM पर बाढ़ मैदान का अध्ययन किया जाना उचित होगा |

मुख्य अभियन्ता (परिचालन) एवं
निदेशक, सिंचाई विभाग
हरिद्वार-247667

Scientist – G
Surface Water Hydrology Division
National Institute of Hydrology
Roorkee-247 667, Uttarakhand

मुख्य अभियन्ता स्तर-2
सिंचाई विभाग, हरिद्वार

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार
(विश्व बैंक कालोनी हरिद्वार)

पत्रांक 2004/सिं0का0म0ह0/NGT 102/2023(नीरज छाबड़ा) दिनांक अगस्त/05.2025

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 102/2023 नीरज छाबड़ा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

संदर्भ– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड हरिद्वार का पत्रांक 2428/सिं0ख0ह0/कोर्टकेस दिनांक 28.07.2025

अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल बहादराबाद हरिद्वार।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें जैसे कि आप अवगत है कि जनपद हरिद्वार में flood plane zone हेतु आप नोडल अधिकारी है विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 102/2023 नीरज छाबड़ा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 16.04.2025 को आदेश कर दिये गए है उक्त आदेश पैरा 06 एवं 07 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के ई–पत्रावली संख्या 72509 दिनांक 03.06.2025 निम्नानुसार कमेटी गठित की गई है–

(1) मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग हरिद्वार – अध्यक्ष

(2) श्री ए0के0 लोहानी, वैज्ञानिक जी, एन0आई0एच0, रुड़की – सदस्य

(3) मुख्य अभियन्ता, (परिकल्प) एवं निदेशक सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की – सदस्य

श्री रविन्द्र कुमार

उक्त कमेटी द्वारा चण्डीपुल से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक किये गये बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के कार्यों में 10मी0 कंटूर अन्तराल के स्थान पर 1.0 मी0 कंटूर अन्तराल के सर्वेक्षण किये जाना है जिसके लिए 10 दिवस समय सीमा निर्धारित की गई थी।

उक्त के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों से निरंतर अनुस्मारक प्राप्त हो रहे है अतः कृपया प्रश्नगत प्रकरण में वांछित सर्वेक्षण हेतु तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

डायरी सं0 2654
दिनांक 08/08/25

(विजय कान्त मौर्य)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांकः 2004/सिं0का0म0ह0/तददिनांक
प्रतिलिपि–
1. मुख्य अभियन्ता स्तर-2 हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड हरिद्वार को उनके पत्र संख्या–2428/सिं0ख0ह0/कोर्ट केस दिनांक–28.07.2025 को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासन द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों एवं अन्य सम्बन्धित पक्षों से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

(विजय कान्त मौर्य)
अधीक्षण अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड मायापुर, हरिद्वार–249401
(ई–मेल–idharidwar@gmail.com)

पत्रांक – / सिं0ख0ह0/ दिनांक– 12/8/25

सेवा में,

रजिस्टार जनरल
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
नई दिल्ली।

विषय – माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0–102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचनीय है कि शासन की ई–पत्रावली स0–72509 सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण अनुभाग–02, देहरादून दिनांक 03.06.2025 के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0–102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 16.04.2025 के पैरा–06 व 07 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्न कमेटी गठित की गयी है।

1. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरिद्वार।
2. श्री ए0के0 लोहानी, वैज्ञानिक जी0एन0आई0एच0, रूड़की।
3. मुख्य अभियन्ता (परिकल्प) एवं निदेशक सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की।

उक्त कमेटी चण्डीपुल से उत्तर प्रदेश की सीमा तक किये गये बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के कार्यों में 10 मीटर कंटूर अन्तराल के स्थान पर 01 मीटर कंटूर अन्तराल को सर्वेक्षण किये जाने हेतु 10 दिवस में आख्या प्रस्तुत करेगी (छाया प्रति संलग्न)। कमेटी द्वारा जो आख्या प्रेषित की गयी है, उसमें अवगत कराया गया है कि

1. 10 मीटर कन्टूर इण्टरवल अर्थात् 10 मी0 स्पेशल रेजोल्यूशन का DEM (Degital Elevation Model) 10×10 मी0 के वर्गाकार क्षेत्र में एलिवेशन (Level) की केवल एक वेल्यू देता है तथा 1.00 मी0 का DEM 1.00 मी0 के वर्गाकार क्षेत्र एलिवेशन की एक वेल्यू देता है। अतः इस प्रकार 1.00 मी0 का DEM 10.00 मी0 के DEM के मुकाबले ज्यादा सटीक है।
2. इस क्षेत्र का बाढ़ मैदान पर चित्रण का कार्य 2016 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया गया था, जिसमें उस समय उपलब्ध नवीनतम DEM जो कि 10 मी0 का था, का प्रयोग किया गया था। इस फिजिकल सर्वे में रिवर क्रास सेक्शन 5 कि0मी0 के अन्तराल पर लिये गये थे।

इस प्रकार उक्त क्षेत्र का 1 मी0 के DEM पर बाढ़ मैदान का अध्ययन किया जाना उचित होगा (कमेटी द्वारा प्रेषित आख्या की छाया प्रति संलग्न है)। चण्डीपुल से उत्तर प्रदेश की सीमा तक किये गये बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के कार्यों में 10 मीटर कंटूर अन्तराल के स्थान पर 01 मीटर कंटूर अन्तराल का सर्वेक्षण किया जाना है। सर्वेक्षण कार्य हेतु प्राक्कलन गठित किया जा रहा है। प्राक्कलन गठित होने के उपरान्त सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ, नई दिल्ली से 06 माह का अतिरिक्त समय प्रदान कराने की कृपा करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

पत्रांक –2558/सिं0ख0ह0/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. प्रमुख अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) सिंचाई विभाग उत्तराखंड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर–2, सिंचाई विभाग हरिद्वार।
3. जिलाधिकारी हरिद्वार।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल हरिद्वार।
5. सुश्री अंजली राजपूत अधिवक्ता ई–41 बेसमेन्ट लाजपतनगर–III नई दिल्ली–110024

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।